

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(2)नविवि / 3 / 2010

जयपुर, दिनांक: 02.02.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को सांभर (जिला जयपुर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्रम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः—

क्र.सं.	ग्रामो का नाम	तहसील
1.	सांभर (SAMBHAR)	फुलेरा, मुख्यालय सांभर (जिला जयपुर)
2	बरडोटी (BARDOTI)	"
3	तेज्याकाबास (TEJAYAKABAS)	"
4	नोरंगपुरा (NORANGPURA)	"
5	सिवानिया (SIVANIYA)	"
6	लालपुरा (LALPURA)	"

राज्यपाल की आज्ञा से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक मे करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक जयपुर जोन, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांभर।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक